(155)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 2141-दो/2012 निगरानी - विरुद्ध आदेश दिनांक 2-3-12 पारित द्वारा तहसीलदार, गुढ जिला रीवा - प्रकरण कमांक 17 अ 12/ 2011-12

रामनाथ द्विवेदी पुत्र स्व.हनुमान प्रसाद द्विवेदी
ग्राम गेरुआर तहसील गुढ़ जिला रीवा ----आवेदक

विरुद्ध

1-सरोज पत्नि स्व. रामहर्ष द्विवेदी
ग्राम गेरूआर तहसील गुढ़ जिला रीवा
2- म0प्र0शासन --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.त्रिपाठी)
(अनावेदक क-1 के अभिभाषक श्री अरूण कुमार गौतम)

आ दे श

(आज दिनांक २५-01-2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, गुढ जिला रीवा - प्रकरण कमांक 17 अ 12/ 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 02-03-2012 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कं-1 के आवेदन पर उनके स्वामित्व की मौजा गेरुआर स्थित भूमि सर्वे कमांक 317/1, 318/2, 324/2 का राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये दिनांक 17-6-10 को सीमांकन किया है, जिस पर मेढ़िया कास्तकार आवेदक

आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की है । तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति निरस्त करते हुये प्रकरण क्मांक 17 अ-12/ 2011-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 2-3-12 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदक एंव अनावेदक के अभिभाषक के पूर्व पेशी पर तर्क सुने जा चुके हैं। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक एंव अनावेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक कं-1 के आवेदन पर उनके स्वामित्व की मौजा गेरूआर स्थित भूमि सर्वे क्मांक 317/1, 318/2, 324/2 का राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने मेंढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये दिनांक 17-6-10 को सीमांकन किया है, जिस पर मेंढ़िया कास्तकार आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की है । तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति निरस्त करते हुये प्रकरण क्मांक 17 अ-12/2011-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 2-3-12 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है । विचार योग्य है कि जब आवेदक को तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल चुका है तब उनके द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष यह आपत्ति करना कि सीमांकन गलत करते हुये उनकी भूमि को प्रभावित किया गया है, माने जाने

योग्य नहीं है। यदि आवेदकगण किये गये सीमांकन से सन्तुष्ट नहीं है तब वह अपनी भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक अथवा अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के विधिवत् हुये सीमांकन में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार, गुढ जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 17 अ-12/2011-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 2-3-12 यथावत् रखा जाता है।

(एम0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर